

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवाँ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्युनिटी
सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

फाइल संख्या / File No. : 18-31/17222-INC 1596 दिनांक / Date: 24-09-2026

सेवा में / To,

प्रधानाचार्य / The Principal,

Prasad Nursing And Paramedical College,
Prasad Nursing And Paramedical College, Sarai
Shahzadi, Banthara, Kanpur Road, Lucknow,
Distt.- Lucknow, Pin Code- 226401, Uttar
Pradesh.

विषय/ Subject : भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 13 के तहत आपके नर्सिंग संस्थान
का निरीक्षण

Inspection of your Nursing Institution under section 13 of Indian Nursing
Council Act, 1947.

संदर्भ / Ref : सोसायटी/ट्रस्ट / Society/Trust : Prasad Education Trust

संस्थान कोड / Institution Code : 317017

कार्यक्रम कोड / Programme Code : 3102498

Parent Hospital : Prasad Institute Of Medical Sciences, Lucknow

महोदय / महोदया,

Sir/Madam,

भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा धारा 13 के तहत निरीक्षकों के एक दल से दिनांक 05-08-2026 to 06-08-2026 तक आपके संस्थान का निरीक्षण कराया गया है। निरीक्षकों की रिपोर्ट कार्यकारिणी समिति के समक्ष रखी गई थी। कार्यकारिणी समिति द्वारा *Prasad Nursing And Paramedical College, City-Lucknow, Distt.- Lucknow, Pin Code- 226401* में अवसंरचनात्मक ढांचे, शैक्षणिक और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता का पता लगाने के बाद धारा 14 के तहत इसे शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए 60 (Sixty) सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ GNM पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए सशर्त उपयुक्त पाया गया है।

Signature valid

Yours faithfully
Digitally Signed by
Col (Dr) Sarvjeet Kaur
Secretary (INC)
Date : 24/09/2026
Location : New Delhi



उपचर्या शिक्षा के एकसमान मानक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत
Striving to Achieve Uniform Standards of Nursing Education

Website: www.indiannursingcouncil.org E-mail: secy.inc@gov.in
Phone: 011-66616800, 66616821, 66616822

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,
उप सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उOप्रO स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 2025

विषय: प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित प्रसाद नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज, सरायं शहजादी बन्थरा, कानपुर रोड, लखनऊ को डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण कोर्स हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5494/25 दिनांक 18.06.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित प्रसाद नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज, सरायं शहजादी बन्थरा, कानपुर रोड, लखनऊ में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी में 100 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता प्रमाण पत्र/अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

- 1) संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर पाठ्यक्रम में प्रवेश व संचालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
 - 2) इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
 - 3) संस्था द्वारा राज्य सरकार/उOप्रO स्टेट मेडिकल फैकल्टी/ इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली/अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा नियामक संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - 4) उOप्रO स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा एक नीति बनाकर मानकों के अनुपालन हेतु संस्था का निरीक्षण कराया जायेगा। संस्था द्वारा राज्य सरकार/ इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली/उOप्रO स्टेट मेडिकल फैकल्टी/अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा नियामक संस्थाओं के किसी भी दिशा-निर्देशों/मानकों का उल्लंघन करने पर संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- 2- शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार अनिवार्यता/अनापत्ति यह अवधारित करते हुए निर्गत की जा रही है कि इस हेतु प्रश्नगत संस्था के संबंध में जो तथ्य एवं आंकड़े सचिव, उOप्रO स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं, वह सही हैं तथापि इस संबंध में अग्रेतर कार्यवाही से पूर्व सचिव, उOप्रO स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ द्वारा स्वस्तर से भी इनकी पुष्टि कर ली जायेगी। इस संबंध में किसी भी विसंगति का संपूर्ण उत्तरदायित्व सचिव, उOप्रO स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ का होगा।
- 3- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA SHEKHAR MISHRA (चन्द्र शेखर मिश्र)
Date: 22-07-2025 18:05:11
उप सचिव।

संख्या एवं तदिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उOप्रO लखनऊ।
3. कुलसचिव, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, उOप्रO लखनऊ।
4. प्रबन्धक, प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित प्रसाद नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज, सरायं शहजादी बन्थरा, कानपुर रोड, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, 9151024463

Website: www.upsmfac.org Email: upmedicalfaculty@upsmfac.org



पत्रांक संख्या- 3111/25

दिनांक 11-08-25

सेवा में,

प्रधानाचार्य,

प्रसाद नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज,
सरायं शहजादी, बन्थरा, कानपुर रोड,
लखनऊ ।

विषय-प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित प्रसाद नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज, सरायं शहजादी, बन्थरा, कानपुर रोड, लखनऊ में डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण केन्द्र में 60 सीट की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय/महोदया,

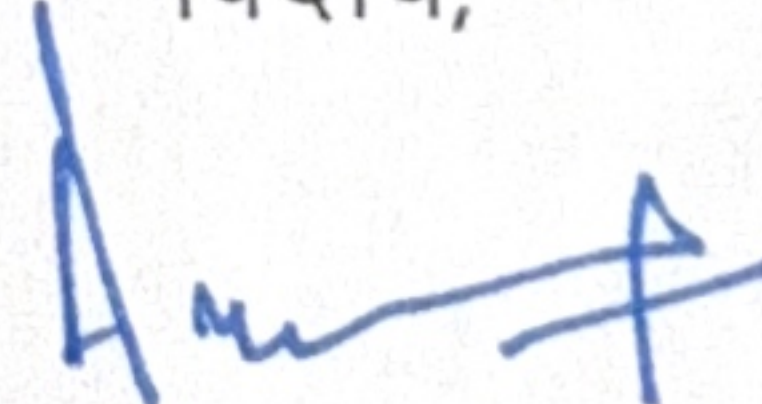
उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-1/1033598/2025 71-4099/70/2021-चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4-चिकित्सा शिक्षा विभाग-Part(2) दिनांक 22 जुलाई, 2025 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण-पत्र/अनापत्ति में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तथा इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ०प्र० नर्सिंग एवं मिडवाइज्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनांक 06.08.2025 के समय संस्था द्वारा निरीक्षण दल को दर्शाये गये संसाधनों एवं उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रसाद नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कालेज, सरायं शहजादी, बन्थरा, कानपुर रोड, लखनऊ को डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एण्ड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम में 60 सीट प्रति शैक्षिक वर्ष भर्ती क्षमता हेतु निम्नलिखित निर्देशों के साथ मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली की धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत संस्था का निरीक्षण किया जायेगा।

1. प्रवेश क्षमता 60 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जायेगा।
2. प्रशिक्षण सत्र प्रतिवर्ष 01 अगस्त से प्रारम्भ होगा।
3. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता के अनुसार ही अभ्यर्थियों का प्रवेश लिया जायेगा।
4. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ०प्र० राज्य सरकार, उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

[Signature]

5. आपके प्रशिक्षण केन्द्र का समय-समय पर निरीक्षण कराया जायेगा। प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।
6. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत नर्सिंग टीचिंग फैकल्टी को कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध सेन्टर लॉगिन पैनल पर इनरोल्ड करना अनिवार्य है।
7. कार्यालय की वेबसाइट पर माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० के समकक्ष बोर्ड की सूची दर्शित है, उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये।
8. प्रवेशित छात्र/छात्राओं का ऑनलाईन इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर प्रत्येक वर्ष कार्यालय द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि तक अवश्य किया जाना अनिवार्य है।
9. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कराई जायेगी।
10. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू० 4,500/- प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू० 4,500/- प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में लिया जायेगा।
11. अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
12. प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू० 90,000+18% GST (रू.1,500/- प्रति अभ्यर्थी की दर से) 60 अभ्यर्थियों का इस कार्यालय में जमा करना होगा।
13. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो।

भवदीय,



(डा० अनुराग श्रीवास्तव)

सचिव,

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

दिनांक—

पत्र संख्या—

प्रतिलिपि—सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवों तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा० अनुराग श्रीवास्तव)

सचिव,

उ०प्र० स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

हेल्पलाइन नम्बर : 8400955546, 9151024463

Website: www.upsmfac.org Email-upmedicalfaculty@upsmfac.org



पत्रांक संख्या- 6252/25

दिनांक 10.07.25

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,
प्रसाद नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज,
सरई शहजादी बन्धरा, कानपुर रोड,
लखनऊ ।

विषय: प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित प्रसाद नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज, सरई शहजादी बन्धरा, कानपुर रोड, लखनऊ में डिप्लोमा इन ओ०टी० टेक्नीशियन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के सन्दर्भ में अवगत करना है कि उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-।/1009575/2025 71-4099/70/2021- चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 चिकित्सा शिक्षा विभाग Part(1) दिनांक 30 जून, 2025 द्वारा निर्गत अनिवार्यता प्रमाण-पत्र/अनापत्ति में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके प्रशिक्षण केन्द्र में डिप्लोमा इन ओ०टी० टेक्नीशियन में 30 सीट प्रति शैक्षिक वर्ष हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। यह मान्यता/सम्बद्धता संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर दी जा रही है। यदि कार्यालय को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करते हुए आपके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

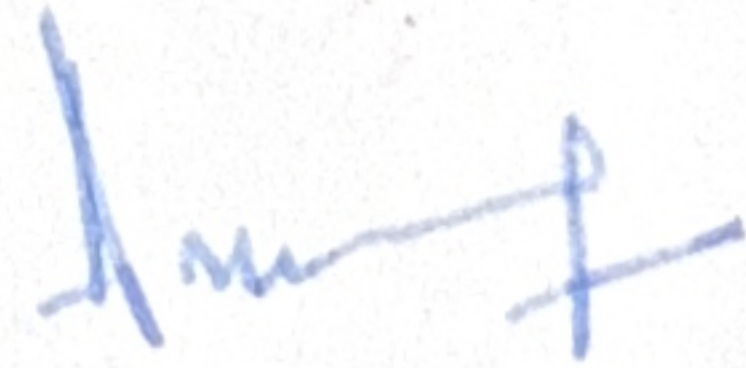
प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता एवं अन्य शर्तें:-

1. प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान अथवा गणित) सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
2. अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
3. माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० से उत्तीर्ण अथवा समकक्ष/समतुल्य बोर्ड से उत्तीर्ण जो माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० की वेबसाइट पर उपलब्ध है, के अनुसार ही अभ्यर्थी का प्रवेश लेना सुनिश्चित करें। उसके अतिरिक्त किसी भी गैर मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाये। यदि किसी गलत

अभ्यर्थी का संस्था द्वारा प्रवेश लिया जाता है तो उसकी परीक्षा कार्यालय द्वारा नहीं करायी जायेगी और इसका समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा।

4. निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न किया जाय।
5. समाचार-पत्रों में विज्ञापन जारी करने से पूर्व विज्ञापन के आलेख (प्रारूप) का इस कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही समाचार-पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाये।
6. प्रशिक्षण सत्र प्रतिवर्ष 01 अगस्त से प्रारम्भ होगा।
7. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा करायी जायेगी। सिलेबस कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
8. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके।
9. प्रत्येक सत्र में प्रवेशित छात्रों का इनरोलमेन्ट कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर निर्धारित अन्तिम तिथि तक किया जाना अनिवार्य है।
10. प्रशिक्षण के दौरान छात्रों से अधिकतम रूपया 54,000/—(रूपया चौवन हजार) प्रतिवर्ष (रूपया 4,500/—प्रतिमाह) प्रशिक्षण शुल्क लिया जायेगा।
11. प्रशिक्षण हेतु सम्बद्धता शुल्क रू0 15,000+18% GST प्रतिवर्ष इस कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
12. प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण आवश्यकतानुसार समय-समय पर कराया जायेगा। निर्धारित मानक पूरे न होने की दशा में मान्यता/सम्बद्धता आगे नहीं बढ़ायी जायेगी।
13. आपके प्रशिक्षण केन्द्र में उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा संचालित प्रशिक्षण के अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा प्रशिक्षण बिना उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी की पूर्वानुमति के नहीं चलाये जायेंगे। यदि आप द्वारा इस शर्त का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया जाता है तो उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा दी गई मान्यता/सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।

भवदीय,



(डा0 अनुराग श्रीवास्तव)

सचिव,

उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।